



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
Board of Secondary Education, Rajasthan
माध्यमिक परीक्षा, 2005
Secondary School Examination - 2005
अंक-तालिका / Mark Sheet

क्रमांक 576829
Serial No.

पंजीयन संख्या
Enrol. No. 5/408321

नामांक	केन्द्र	जिला	विद्यालय/अग्रे. अधि.	जन्म दिनांक	स्वयंपाठी/नियमित	परीक्षा श्रेणी	संदर्भ संख्या
0408384	18020	18	18210	11/05/91	REGULAR	1	390098

परीक्षार्थी का नाम
DEVKI NANDAN GUPTA
पिता का नाम
HEM RAJ GUPTA
माता का नाम
NIRMALA GUPTA

विषय एवं पूर्णांक/न्यूनतम उत्तीर्णांक	हिन्दी 100/33			अंग्रेजी 100/33			विज्ञान 100/33				
	I	सत्रांक	योग	I	सत्रांक	योग	I	II	सत्रांक	योग	
प्राप्तांक	64	10	74	48	10	58	26	32	10	68	
विषय एवं पूर्णांक/न्यूनतम उत्तीर्णांक	सामाजिक विज्ञान 100/33				गणित 100/33				तृतीय भाषा 100/33		
	I	II	सत्रांक	योग	I	II	सत्रांक	योग	I	सत्रांक	योग
प्राप्तांक	23	17	10	50	40	21	10	71	SANSKRIT 68 10 78D		
कुल पूर्णांक	600	कुल प्राप्तांक	399	66.50%	परिणाम FIRST DIVISION						

विषय एवं पूर्णांक	कम्प्यूटर साक्षरता	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	कला शिक्षा
प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग	100 095	100 085	A	A

अजमेर
Ajmer

दिनांक
Date 31ST MAY, 2005

(विशेष विवरण हेतु - कृ. पृ. उ.)

Signature

(आर. बी. गुप्ता)
निदेशक (परीक्षा)

विशेष विवरण

1. ABBREVIATIONS:-

AA - अनुपस्थित	I प्रथम पत्र	D - विषय में विशेष योग्यता
F - अनुत्तीर्ण	II द्वितीय पत्र	G - सानुग्रह अंक
S - पूरक परीक्षा का विषय		
2. माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिये पूर्णांक 600 हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण होने के लिए क्रमशः 60, 45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है, एवं अंकतालिका में प्रतिशत (%) दर्शाये जायेंगे। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही भाषा विषयों सहित सभी विषय/विषयों में दी जायेगी। परीक्षा श्रेणी (Category) 3 से 6 तक के परीक्षार्थियों के लिये यह नियम लागू नहीं होंगे।
3. यदि कोई परीक्षार्थी अगस्त 2005 में होने वाली पूरक परीक्षा में प्रथम बार बैठ कर अनुत्तीर्ण हो जाये अथवा सम्मिलित होने से वंचित रह जाये तो वह मार्च 2006 में होने वाली परीक्षा में द्वितीय अवसर का लाभ लेकर पुनः श्रेणी-3 के अन्तर्गत परीक्षा दे सकेगा मार्च/अप्रैल 2006 में द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी पुनः उसी विषय/विषयों में अगस्त 2006 में होने वाली पूरक परीक्षा के समय तृतीय अवसर में श्रेणी-7 के अन्तर्गत बैठ सकेंगे। यदि परीक्षार्थी फिर भी अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहता है तो उसे सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी।
4. नियमित परीक्षार्थियों के लिये समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा एवं कम्प्यूटर साक्षरता विषय लेना अनिवार्य है, किन्तु स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को इन विषयों से मुक्त रखा गया है। कम्प्यूटर साक्षरता तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में अंक प्रदान किये गये हैं तथा शेष विषयों में अंकों के स्थान पर निम्नानुसार ग्रेडिंग किया गया है :-
श्रेष्ठ - A, बहुत अच्छा - B, अच्छा - C, औसत - D
5. परीक्षा श्रेणी (Category) का तात्पर्य परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से है :-

(क) सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	1
(ख) श्रेणी (Division) सुधार हेतु पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	2
(ग) द्वितीय/तृतीय अवसर पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	3/7
(घ) अतिरिक्त विषय/विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	4
(ङ) प्राच्य भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी अनिवार्य या हिन्दी अनिवार्य विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	5
(च) अंकों में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (परन्तु सम्पूर्ण विषयों में नहीं) सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	6
6. परीक्षा में प्रविष्ट होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी अंकतालिका में किसी विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय को सूचित करे।
7. यदि कभी यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र अथवा अंक-तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेरफेर अथवा रद्दोबदल कर दिया है तो यह दण्डनीय कार्य माना जायेगा तथा दोष की गम्भीरता के परिमाण को दृष्टि में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. प्राप्तियों की पुनः गणना (Re-totalling) हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा की तिथि से एक माह की अवधि में पहुँच जाने चाहिये। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। प्रत्येक विषय के लिये शुल्क रु. 75/- निर्धारित है। पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र उपनिदेशक (गोपनीय) के नाम से भेजें। उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) कराए जाने का बोर्ड नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।